भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2050

दिनांक 06 दिसम्बर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एनीमिया मुक्त भारत

2050. श्रीमती शांभवी:

श्री नरेश गणपत म्हस्के:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकर:

श्री राजेश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर महाराष्ट्र और बिहार में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यनीति के अंतर्गत आबंटित, संवितरित और उपयोग की गई कुल निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जनवरी, 2022 से एनीमिया से निपटने के लिए व्यय हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है और कितनी मात्रा में लौह समृद्ध चावल की खरीद, आपूर्त और वितरण किया गया है;

(ग) उक्त योजना के लाभार्थियों को देश में छह विभिन्न आयु वर्गों के अंतर्गत विभाजित किए जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति के अंतर्गत लाभान्वित लाभार्थियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2015 से सरकार द्वारा एनीमिया के संबंध में जागरूकता फैलाने तथा इसे दूर करने हेतु वर्ष-वार क्या कदम उठाए गए?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): एनीमिया मुक्त भारत के तहत बजटीय आवंटन और उपयोग का महाराष्ट्र और बिहार राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(ख): खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 (यह रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है) के अनुसार, भारत सरकार ने मार्च, 2024 तक चरणबद्ध तरीके से एकीकृत बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) सहित संपूर्ण

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) को एफसीआई और राज्य एजेंसियों के माध्यम से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को मंजूरी दी है। चरण- I में, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आईसीडीएस और पीएम पोषण के तहत वितरण के लिए लगभग 17.51 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल उठाया गया; चरण- II (2022-23) में, टीपीडीएस के तहत वितरण के लिए 106.25 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल और आईसीडीएस और पीएम पोषण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 29.58 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल उठाया गया। चरण III (2023-24) में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को टीपीडीएस, आईसीडीएस और पीएम-पोषण के तहत 322.27 एलएमटी फोर्टिफाइड चावल वितरित किया गया।

(ग): एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति ने परिचर्या और सेवा प्रदायगी के सभी स्तरों पर छह लाभार्थी समूहों में जीवन चक्र दृष्टिकोण में एनीमिया की रोकथाम, परीक्षण और उपचार के प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं।

(घ): एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति के अंतर्गत लाभान्वित होने वाले कुल लाभार्थियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ङ): भारत सरकार छह लाभार्थी समूहों - 6-59 महीने के बच्चे, 5-9 वर्ष के बच्चे, किशोर (10-19 वर्ष), प्रजनन आयु की महिलाएं (15-49 वर्ष), गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताओं में एनीमिया की व्याप्तता को कम करने के लिए 6X6X6 कार्यनीति में एनीमिया मुक्त भारत (एएमबी) कार्यक्रम लागू करती है। छह कार्यकलापों के माध्यम से जीवन चक्र दृष्टिकोण में – प्रोफीलेक्टीन आयरन और फोलिक एसिड अनुपूरण (आईएफए सिरप 6-59 महीने के बच्चों को दो सप्ताह में एक बार दिया जाता है, आईएफए पिंक 5-9 वर्ष के बच्चों को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, आईएफए ब्लू 10-19 वर्ष के किशोरों को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है, आईएफए रेड प्रजनन आयु समूह की महिलाओं को साप्ताहिक रूप से दिया जाता है और आईएफए रेड गोलियां (180 दिनों के लिए रोजाना) गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को दी जाती हैं) , डीवॉमिंग (गर्भवती महिलाओं को दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली दी जाती है और 1-19 वर्ष के सभी बच्चों को राष्ट्रीय डीवॉमिंग दिवस के दौरान एल्बेंडाजोल की गोलियां दी जाती हैं) वर्ष भर व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान को तीव्र करना और सभी प्रसव बिंदुओं पर देरी से गर्भनाल को बंद करना सुनिश्चित करना, डिजिटल इनवेसिव हीमोग्लोबिनोमीटर और परिचर्या उपचार का उपयोग करके एनीमिया की जांच, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयरन और फोलिक एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का अनिवार्य प्रावधान (आंगनवाड़ी केंद्र (एडब्ल्यूसी) में संपूरक पोषण, स्कूलों में मध्याह्न भोजन (एमडीएम) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली), सुदृढ़ संस्थागत तंत्र के माध्यम से मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लोरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक क्षेत्रों में एनीमिया के गैर-पोषण संबंधी कारणों का समाधान किया जाता है।

*****

अनुलग्नक I

दिनांक 06.12.24 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2050 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए एनएचएम के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार एसपीआईपी अनुमोदन और एएमबी में व्यय

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एनीमिया मुक्त भारत	
	अनुमोदन (लाख रुपये में)	व्यय (लाख रुपये में)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	44.75	4.62
आंध्र प्रदेश	8,570.74	6,896.00
अरुणाचल प्रदेश	27.30	-
असम	1,564.65	1,225.98
बिहार	7,569.52	2,267.92
चंडीगढ़	-	-
छत्तीसगढ़	1,734.61	615.67
दादरा और नागर हवेली और दमन एवं दीव	12.84	3.59
दिल्ली	472.90	3.20
गोवा	123.97	30.29
गुजरात	2,133.04	1,947.15
हरियाणा	1,695.64	1,863.62
हिमाचल प्रदेश	108.64	89.59
जम्मू और कश्मीर	927.48	42.09
झारखंड	4,798.84	451.52
कर्नाटक	3,462.93	718.55
केरल	2,214.74	230.48
लद्दाख	8.48	7.94
लक्षद्वीप	5.47	0.90
मध्य प्रदेश	13,397.85	4,912.23
महाराष्ट्र	7,366.95	1,918.71
मणिपुर	173.87	8.52
मेघालय	504.82	39.67
मिजोरम	111.06	50.12
नागालैंड	311.73	1.31
ओडिशा	1,988.06	1,090.38
पुद्दुचेरी	248.49	20.27
पंजाब	1,082.42	1,082.42
राजस्थान	3,837.04	668.56
सिक्किम	49.74	38.20
तमिलनाडु	1,273.11	669.63
तेलंगाना	2,390.04	83.43
त्रिपुरा	679.93	543.17
उत्तर प्रदेश	25,785.11	4,349.42
उत्तराखंड	1,420.41	218.18
पश्चिम बंगाल	2,381.95	1,466.93

स्रोत: एनएचएम वित्त

दिनांक 06.12.24 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 2050 के उत्तर के भाग (घ) में संदर्भित

अनुलग्नक II

एनीमिया मुक्त भारत कार्यनीति के तहत लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कुल संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की कुल संख्या (1000 में आंकड़े)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	87
2	आंध्र प्रदेश	12,535
3	अरुणाचल प्रदेश	113
4	असम	6,768
5	बिहार	13,089
6	चंडीगढ़	210
7	छत्तीसगढ	7,727
8	डीएनएच और डीडी	230
9	दिल्ली	1,296
10	गोवा	322
11	गुजरात	22,090
12	हरियाणा	5,141
13	हिमाचल प्रदेश	671
14	जम्मू और कश्मीर	2,973
15	झारखंड	8,987
16	कर्नाटक	6,806
17	केरल	1,501
18	लद्दाख	59
19	लक्षद्वीप	9
20	मध्य प्रदेश	17,766
21	महाराष्ट्र	6,839
22	मणिपुर	137
23	मेघालय	191
24	मिजोरम	180
25	नागालैंड	56
26	ओडिशा	9,489
27	पुद्दुचेरी	422
28	पंजाब	2,680
29	राजस्थान	10,406
30	सिक्किम	80
31	तमिलनाडु	23,445
32	तेलंगाना	10,875
33	त्रिपुरा	262
34	उत्तराखंड	1,810
35	उत्तर प्रदेश	24,921
36	पश्चिम बंगाल	12,078

स्रोत: एचएमआईएस 2023-24

*****